UPHR010053282025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4/ विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट), हरदोई।

उपस्थित : योगेन्द्र चौहान, एच०जे०एस०

सत्र वाद संख्या–1130/2025

उत्तर प्रदेश राज्य ---अभियोगी

प्रति

रमेश चन्द्र पुत्र चन्द्र भाल, निवासी ग्राम सिरसा, थाना पिहानी, जनपद – हरदोई।

-------------------अभियुक्त

अ०सं०–964/2022

धारा–138(1)बी विद्युत अधिनियम

थाना–ए०पी०टी०, जनपद–हरदोई

–निर्णय–

1. पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त रमेश चन्द्र उपस्थित।

2. अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र बावत जुर्म स्वीकार किये जाने इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी गरीब है। उपरोक्त मुकदमा जुर्म इकबाल के आधार पर समाप्त करना चाहता है। प्रार्थी का जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायहित में आवश्यक है। अतः जुर्म इकबाल के आधार पर मुकदमा समाप्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. प्रार्थना पत्र के प्रकाश में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

4. अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138(1)बी विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण साक्ष्य के स्तर पर लम्बित है। अभियुक्त स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार कर रहा है। अतः जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

–आदेश–

I– **अभियुक्त रमेश चन्द्र** को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर **मु०अ०सं०–964/2022,** अन्तर्गत **धारा–138(1)बी** विद्युत अधिनियम, थाना ए०पी०टी०, जिला हरदोई के आरोप में **दोषसिद्ध** किया जाता है।

II– अभियुक्त अदालत में उपस्थित है। पूर्व में जमानत पर था। उसके व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किए जाते हैं एवं प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

III– बचावपक्ष की वाञ्छा पर दण्ड के प्रश्न पर सुनवायी हेतु पत्रावली पुनः प्रस्तुत हो।

(योगेन्द्र चौहान)

दिनांक–20.07.2026

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–04/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट), हरदोई।
जे०ओ० कोड–UP1608

Digitally signed by YOGENDRA CHAUHAN
Date: 2026.07.20 16:50:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>**दण्ड के बिन्दु पर**</u>

1. दण्ड के बिन्दु पर दोषसिद्ध, दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष को सुना गया। दोषसिद्ध पक्ष का कथन है कि वह सीधा–सादा गरीब व्यक्ति है। उसका यह प्रथम अपराध है, दोषसिद्ध ने स्वेच्छा से अपराध की संस्वीकृति की है, अतः उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

2. अभियोजन पक्ष का यह तर्क है कि दोषसिद्ध द्वारा बकाया पर काटे गये संयोजन को बकाया धनराशि जमा किये बिना अनुचित तरीके से संयोजन कर विद्युत उपयोग किया जा रहा था। तदनुसार दण्डित किए जाने की प्रार्थना की गयी ।

3. **धारा–138(1)B विद्युत अधिनियम** के अन्तर्गत अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। इस प्रावधान के अनुसार <u>जो व्यक्ति धारा 138(1)B विद्युत अधिनियम के तहत अपराध कारित करेगा वह अधिकतम तीन वर्ष के कारावास या जुर्माना जो मु० 10,000/– तक हो सकेगा या दोनों से दण्डित किये जाने का प्राविधान किया गया है।</u> दोषसिद्ध द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसके द्वारा केवल बल्ब जलाए जा रहे थे और कोई लाइट का उपयोग नहीं किया जा रहा था। दोषसिद्ध का यह प्रथम अपराध है तथा उसने स्वेच्छया अपराध संस्वीकृत किया है। उसके द्वारा कथन किया गया है कि वह सीधा–सादा गरीब व्यक्ति है। अतः तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध को मु० 6,000/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित है।

(योगेन्द्र चौहान)

दिनांक–20.07.2026

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–04/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट), हरदोई।
जे०ओ० कोड–UP1608

<u>**–दण्डादेश–**</u>

i– **दोषसिद्ध/अभियुक्त रमेश चन्द्र** को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर **मु०अ०सं०–964/2022,** अन्तर्गत **धारा 138(1)बी** विद्युत अधिनियम, थाना ए०पी०टी०, जिला हरदोई के आरोप में **मु० 6,000/– (छः हजार रूपये)** अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर दोषसिद्ध को **20 दिन (बीस दिन)** के साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

ii– निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध को निःशुल्क अविलम्ब प्रदान की जाय।

iii– विद्युत विभाग दोषसिद्ध से बकाया विद्युत बिल नियमानुसार वसूल करने के लिए स्वतंत्र है।

(योगेन्द्र चौहान)

दिनांक–20.07.2026

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–04/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट), हरदोई।
जे०ओ० कोड–UP1608